

8/2/24

पत्रावली पेश हुई। अपीलान्ट एवं उपा
अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र पेश किया।
प्रार्थना पत्र में उक्त किया कि मैं मेरे द्वारा
प्रदत्त अपील को वापस नहीं चलाया चाहता
हूँ। उक्त मेरे द्वारा प्रदत्त अपील को विश
कर खारिज कि जाके। अपील को विश
कर खारिज कि जाने बाबत अपील कि
आई. डी (आधारकार्ड) ली गई एवं लक्ष्मि
बाबत आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाये।
अतः अपीलान्ट द्वारा प्रदत्त प्रार्थना
पत्र ग्राह्य है। प्रतीकार किया जाकर
अपील अपीलान्ट विश कर खारिज कि
जाती है। पत्रावली फलतः शुभारंभ
ले कम होकर शीघ्र दफ्तर हो।

(अमिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
नीमकाथाना

